



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-555/ 1957

रायपुर, दिनांक 18/08/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 अटल नगर, नवा रायपुर
 छत्तीसगढ़

विषय:— Diversion of 4.00 ha. of Forest Land in favour of M/s Gulf Oil Corporation Limited, Bilaspur for Storage of Explosives and Accessories and as per required for Mine in Chhattisgarh under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Biladi in Raipur District in the State of Chhattisgarh - regarding.
पंजीयन क्रमांक— FP/CG/other/28644/2027

- संदर्भ:—**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/CH-176/2020-NGP दिनांक 15.03.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक. शा./एफ.सी.ए./ 8454 दिनांक 04.08.2022

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत ग्राम बिलाडी तहसील तिल्दा, जिला रायपुर अंतर्गत मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 41 में रकबा 4.00 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सेल्स मैनेजर, गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के अनुक्रम में सैद्धांतिक स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसका बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

स.क.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। संलग्न :- Annexure - 1
(ii)	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	आवेदक संस्थान द्वारा उपयोगकर्ता वनभूमि के विरुद्ध 4.00 हे. निजी भूमि प्रदाय की गई है। संलग्न :- Annexure - 2

(iii)	Compensatory afforestation a. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.00 ha of Non forest land of Khasra no. 117, 90/1, 90/2, 90/3, 137/1, 137/2, 136 at Village Uslapur, Dist- Durg, in the State of Chhattisgarh at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Durg District shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	प्रकरण में प्रभावित वन भूमि रकबा 4.00 हे. के विरुद्ध दुर्ग वनमण्डल के अंतर्गत उसलापुर में 4.00 हे. निजी भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई है। जिसमें निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जायेगा। संलग्न :- Annexure - 3 <table border="1" data-bbox="805 315 1369 658"> <thead> <tr> <th>वनखण्ड</th><th>खसरा नं</th><th>रकबा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">बेमेतरा</td><td>90 / 1,</td><td>0.800</td></tr> <tr> <td>90 / 2,</td><td>0.500</td></tr> <tr> <td>90 / 3,</td><td>0.270</td></tr> <tr> <td>137 / 1,</td><td>1.230</td></tr> <tr> <td>137 / 2,</td><td>0.700</td></tr> <tr> <td>136</td><td>0.200</td></tr> <tr> <td>117</td><td>0.300</td></tr> <tr> <td>योग :-</td><td>7</td><td>4.000</td></tr> </tbody> </table>	वनखण्ड	खसरा नं	रकबा	बेमेतरा	90 / 1,	0.800	90 / 2,	0.500	90 / 3,	0.270	137 / 1,	1.230	137 / 2,	0.700	136	0.200	117	0.300	योग :-	7	4.000
वनखण्ड	खसरा नं	रकबा																					
बेमेतरा	90 / 1,	0.800																					
	90 / 2,	0.500																					
	90 / 3,	0.270																					
	137 / 1,	1.230																					
	137 / 2,	0.700																					
	136	0.200																					
	117	0.300																					
योग :-	7	4.000																					
	b. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-I approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval;	आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई निजी भूमि को वन विभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने हेतु धारा 04 या 29 के तहत अधिसूचना प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही दुर्ग वनमण्डल के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। संलग्न :- Annexure - 4																					
(iv)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्थान द्वारा 4.00 हे. क्षेत्र में सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्धारित दर रुपये 8,78,787/- प्रति हे. के मान से 35,15,148/- कैम्पा खाता में INF/NEFT No 028305372471U (01.07.2022) द्वारा जमा किया गया है। रसीद की छायाप्रति संलग्न है। संलग्न :- Annexure - 5																					

(v)	NPV: a. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.0 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008. 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 4.00 हे. क्षेत्र का शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि 3212000/- कैम्पा खाता में INF/NEFT No 028305372471U (01.07.2022) द्वारा जमा किया गया है। रसीद संलग्न है। संलग्न :- Annexure - 6												
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि निर्धारित किया जाता है तो, उक्त अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। संलग्न :- Annexure - 7												
(vi)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में कुल राशि 67,27,148/- कैम्पा खाता में INF/NEFT No 028305372471U (01.07.2022) द्वारा जमा किया गया है। जो निम्नानुसार है :- संलग्न :- Annexure - 8 <table border="1" data-bbox="847 1272 1390 1473"> <thead> <tr> <th>क्र</th><th>मद</th><th>राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण</td><td>3515148.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>शुद्ध प्रत्याशा मूल्य</td><td>3212000.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल जमा राशि</td><td>6727148.00</td></tr> </tbody> </table>	क्र	मद	राशि	1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	3515148.00	2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	3212000.00	कुल जमा राशि		6727148.00
क्र	मद	राशि												
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	3515148.00												
2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	3212000.00												
कुल जमा राशि		6727148.00												
(vii)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	कलेक्टर जिला रायपुर का वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 29.07.2017 से जारी किया गया है, जो संलग्न है। संलग्न :- Annexure - 9												
(viii)	No tree felling shall be permitted under instant proposal;	आवेदक संस्थान द्वारा कोई भी वृक्ष कटाई नहीं किये जाने हेतु वचनबद्ध है। संलग्न :- Annexure - 10												

(ix)	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 2500 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road, User Agency shall voluntarily distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost A compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा पृथक नर्सरी में 2500 पौधे विकसित करेगा। जिसमें वन विभाग के अनुशंसा/सुविधा के आधार पर बांस की स्थानीय प्रजाति फलदार, औषधीय, सजावटी देशी/स्थानीय वृक्ष को लगाने की वरीयता दी जावेगी। संलग्न :- Annexure – 11
(x)	Due to mishandling of the explosives, if any accident/mishap occurred and causes damage to forest area in vicinity, the user agency shall be responsible to compensate for the damages/losses occurred if any ;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है कि विस्फोटकों के गलत संचालन के द्वारा यदि कोई घटना होती है, और आस-पास के वनक्षेत्र को नुकसान होता है, तो विभाग को हुई नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। संलग्न :- Annexure – 12
(xi)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रावधान अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेगा। संलग्न :- Annexure – 13
(xii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि केन्द्र सरकार के बिना अनुमति, प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। संलग्न :- Annexure – 14
(xiii)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि कोई भी अनाधिकृत श्रमिक शिविर/निर्माण यार्ड स्थापित नहीं किया जावेगा। संलग्न :- Annexure – 15
(xiv)	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि परियोजना में लगे सभी श्रमिकों को निर्माण

	Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	ठेकेदार द्वारा खाना पकाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक एल.पी.जी. उपलब्ध कराया जायेगा। संलग्न :- Annexure – 16
(xv)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में सड़क की सीमा का सीमांकन वन विभाग के निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत किया जायेगा। जिसकी लागत आवेदक संस्थान द्वारा दी जावेगी। संलग्न :- Annexure – 17
(xvi)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि परियोजना निर्माण के दौरान निर्माण सामाग्री परिवहन हेतु वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नई सड़क/पथ का निर्माण नहीं किया जावेगा। संलग्न :- Annexure – 18
(xvii)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि व्यपवर्तन की अवधि आवेदक संस्थान के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के साथ समाप्त होगा। संलग्न :- Annexure – 19
(xviii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि परियोजना प्रस्ताव निर्दिष्ट कार्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा। संलग्न :- Annexure – 20
(xix)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India ;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित परियोजना के लिए व्यपवर्तित की जाने वाली भूमि को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। संलग्न :- Annexure – 21
(xx)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC d 29/01/2018;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि आवेदक संस्थान गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत परियोजना के प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा। संलग्न :- Annexure – 22
(xxi)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र दिया गया है, कि वन एवं वन्यप्राणी के संरक्षण और विकास के हित में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी सभी शर्तों/निर्देशों का पालन किया जावेगा। संलग्न :- Annexure – 23

(xxii)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। संलग्न :- Annexure - 24
--------	--	--

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
03 प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-555/ 158
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 18/08/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, दुर्ग वन मंडल, दुर्ग, छत्तीसगढ़। कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्रबंध/विविध/115-555/ 2833 दिनांक 22.11.2021 से प्रेषित अधिसूचना प्रस्ताव में 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी समाहित करते हुए संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है जो आज दिनांक तक अप्राप्त है, जिसे शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. सेल्स मैनेजर, गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्लेट नं. 202, द्वितीय तल, श्री साई मंगलम के पीछे, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार, बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.सं (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़